

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नून - अगस्त, 1991 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 1991 (आपाद 20, 1913)

समय 10.30 बने

### 1- प्रश्नोत्तर.

पृथक्: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, रामानन्द सिंह, तोषण सिंह, सदस्य, सीधी बल मण्डल के सतना स्थित तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से हुई क्षति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री श्रीगालाल पटेल, सदस्य, धार जिले के कई ग्रामों में कपास के बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, सीहोर जिले की बुधनी तहसील के अनेक ग्रामों में वन कर्मियों द्वारा आदिवासियों को बेदखल किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, मध्यप्रदेश दूध महासंघ द्वारा दूध की आपूर्ति के संबंध में राज्य मंत्री डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### निर्धारित सूची 3- वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगों पर बहस (क्रमशः)

1 घन्टा (शेष 58 मिनट)	(1) मांग संख्या 34 मांग संख्या 55	समाज कल्याण महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
1 घन्टा	(2) मांग संख्या 05	जेल
1 घन्टा 30 मिनट	(3) मांग संख्या 20 मांग संख्या 63	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
1 घन्टा	(4) मांग संख्या 47 मांग संख्या 70	जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

### 4- अशासक्रीय विधेयक.

30 मिनट श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सेवाओं में पदों और रिक्तियों का आरक्षण विधेयक, 1991 (क्रमांक 2 सन 1991) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशा: विचार होने की दशा में प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

### 5- अशासक्रीय संकल्प.

25 मिनट (1) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति अविलम्ब की जाए. चिकित्सकों के चयन या पदस्थ होने तक योग्यता प्राप्त बेरोजगार छात्र-छात्राओं को संविदा नियुक्तियां दी जाए".

20 मिनट (2) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि गांव की गरीबी दूर करने की दिशा में खेती को लाभकारी बनाने हेतु विशेष उपक्रम किया जाए. साथ ही आर्थिक विषमता दूर करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न्यूनतम ग्यारंटी कार्यक्रम अनिवार्य किया जाये".

15 मिनट (3) श्री पूरन सिंह पत्तैया, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार क्षेत्र रोजगार देने हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार की जावे".

15 मिनट (4) श्री सुरेश सेठ, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि मस्जिद, गुरूद्वारे एवं मंदिरों पर निरन्तर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर तत्काल प्रभाव से जनहित में रोक लगाई जाये".

15 मिनट (5) डा. गोविन्द सिंह, श्री महेश तिवारी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को शासकीय घोषित करने की कार्यवाही की जाये".

### 6- नियम 52 के अधीन आये बन्दे की चर्चा.

(1) दिनांक 9 जुलाई, 1991 को राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1262) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, विश्वम्भरनाथ पाण्डेय सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 16 जुलाई, 1991 को राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1814) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री रामलखन शर्मा, नन्दकुमार सिंह चौहान, रामानन्द सिंह, नारायण प्रसाद कबीर पंथी सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 18 जुलाई, 1991

**विश्वेन्द्र मेहता**  
सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा